

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना)

पत्रांक ४२ / पटना, दिनांक ११/०१/०२५

प्रेषक,

उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

सेवा में,

1. सुरेन्द्र पासवान (गोदना) (मधुबनी पैंटिंग)
पिता—श्री राम परीक्षण पासवान,
पता—श्रीपुर हाटी, पण्डौल, जिला—मधुबनी।
मो०—8368320796
2. श्रीमती हेमा देवी (मधुबनी पैंटिंग)
पति—श्री नवीन कुमार झा,
ग्रा०+पो०—कोइलख, रामपट्टी, जिला—मधुबनी।
मो०—9570389149
3. फिरंगी लाल गुप्ता (पाषाण शिल्प)
पिता—स्व० रामअधार साह,
ग्रा०—केशरी, पो०—छोटा अमाव,
जिला—कैमूर (भमुआ)। मो०—9795539096
4. सुशीला देवी (एप्लिक / कसीदा शिल्प)
पति—श्री सुरेश शर्मा,
पता—गोलघर पार्क रोड, पो०—जी०पी०ओ०, थाना—गाँधी मैदान,
जिला—पटना। मो०—9386940200
5. मो० जाहिद हुसैन, (चर्म शिल्प)
पिता—मो० सुलेमान, ग्रा०—बरही,
जिला—दरभंगा। मो०— 7632856848
6. श्री भोला कुमार पंडित (सहायक प्रशिक्षक, टेराकोटा शिल्प)
पिता—श्री राम लखन पंडित,
ग्रा०+पो०—मधरौनी, बिहार।
मो० नं०—8298635731
7. दिव्या रानी सिंह, (जूट शिल्प)
पति—सुबोध कुमार,
पता—आदर्श कालोनी, केशरी नगर,
जिला—पटना। मो०—9199930764

8. पुजा कुमारी, (टिकुली पैटिंग)
पिता—राम बाबू शर्मा,
पता—रामजीचक, बाटागंज, दीधा, पटना।
मो०—9334215493, 6201718932
9. श्री पपू कुमार, (सिक्की कला)
पिता— प्रभु दास,
पता— ग्राम+पो०— सिंघौल, थाना— मुफसिल,
जिला— बेगुसराय।
मो० नं०—8709441494
10. सुनील कुमार शर्मा, (काष्ठ कला)
पिता—स्व० हरिनाथ शर्मा,
पता—मुबारकपुर, पो०—दानापुर कैन्ट,
जिला—पटना।
मो० नं०—7903934525
11. अमन अग्रवाल, (बुनाई शिल्प)
जन्म तिथि—06.03.1999
पता—सी—76 चंद्रपुरी, प्रेमनगर,
बरेली, उत्तर प्रदेश। मो०—9027589725
12. गोपाल कृष्ण दामोर, (सेरामिक शिल्प)
ग्रा०—कटरवास कलान खेरवां, उदयपुर,
राजस्थान। मो०— 8003450334
13. माला सिन्हा, (गुड़िया शिल्प)
पति—श्री अनिल कुमार,
ग्रा०—श्यामा मार्केट, न्यू एरिया,
जबकनपुर, जिला—पटना। मो०—9334712500

विषय— संबंधित शाखा के प्रशिक्षक के रूप में योगदान देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में प्रशिक्षण सत्र जनवरी से जून, 2025 हेतु तीन माह का बेसिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक के रूप में आपका कार्य अवधि का विस्तार किया जाता है। साथ ही तीन माह का एंडवास प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक के रूप में आपका कार्य अवधि का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के अलावा और किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कार्य दिवस में अनुपस्थिति रहने पर आपके मानदेय से कटौती की जायेगी। विदित हो कि प्रत्येक शाखा में न्यूनतम 5 प्रशिक्षणार्थीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगा अगर शाखा में प्रशिक्षणार्थी की संख्या 02 या 02 से कम रहने पर वर्तमान सत्र में उस शाखा को बंद किया जा सकता है तथा उस शाखा के प्रशिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 13.01.2025 को पूर्वी 10:00 बजे से अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

उक्त पर निदेशक, संस्थान का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Smt
उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक 42 / पटना, दिनांक 11/01/2025

प्रतिलिपि :- संबंधित शाखा प्रभारी/प्रशिक्षक/आई०टी० एण्ड एम० आई० एस० एक्सपर्ट, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Smt
उप विकास पदाधिकारी,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।